श्री दीपक कुमार यादव
न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)
अग्रिम जमानत आवेदन– 474/26
तेल्हाड़ा थाना काण्ड सं0– 57/26

सुजित दास एवं अन्य.....आवेदकगण
बनाम
बिहार सरकार.....विपक्षी

06/06/2026 आवेदक (1) सुजित दास उम्र 25 वर्ष, (2) संजित दास उम्र 27 वर्ष, (3) श्रवण दास उम्र 45 वर्ष एवं (4) कन्हैया दास उम्र 35 वर्ष सभी पिता स्व0 राजा रविदास, साकिनान मण्डाछ, थाना तेल्हाड़ा, जिला नालन्दा की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर शर्मा द्वारा संचालित किया गया। आवेदकगण तेल्हाड़ा थाना काण्ड सं0– 57/26, दिनांक 07/04/2026 बी0एन0एस0 की धारा– 126(2), 115(2), 117(2), 74, 303(2), 3(5), 118(1) के अन्तर्गत अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि आवेदकगण की ओर से पूर्व में सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में किसी प्रकार की जमानत की अर्जी दाखिल नहीं की गई है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण निर्दोष हैं तथा किसी प्रकार का कोई घटना नहीं किये हैं। प्राथमिकी के अवलोकन से धारा– 74 बी0एन0एस0 का कोई आकर्षण नहीं होता है तथा धारा– 303(2) बी0एन0एस0 अलंकारिक रूप से केस को गंभीर बनाने के उद्देश्य से लगाया गया है। सूचिका पूनम देवी एवं आवेदकगण दोनों पड़ोसी हैं तथा नली–गली के विवाद को लेकर बढ़ा–चढ़ाकर झूठा केस दर्ज कराया गया है। आवेदकगण के कब्जे से चोरी का किसी प्रकार का सामान बरामद नहीं हुआ है। प्राथमिकी के अवलोकन से विदित होता है कि घटना दिनांक 01/04/2026 की संध्या 6:00 बजे की है, जबकि प्राथमिकी काफी विलम्ब से दिनांक 07/04/2026 को दर्ज कराया गया है तथा विलम्ब से दर्ज कराये जाने का कोई संतोषजनक कारण भी प्राथमिकी में उल्लेख नहीं किया गया है। आवेदकगण दफा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के नियमों का पालन करने तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित बंध पत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः इन्हें किसी भी राशि के अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए जमानत खारिज करने की प्रार्थना की गई।

सूचिका पूनम देवी, पति चुन्नु रविदास, ग्राम मण्डाछ, थाना तेल्हाड़ा, जिला नालन्दा का स्थायी निवासी हैं, के अनुसार दिनांक 01/04/2026 समय 6:00 बजे शाम को अचानक 1. गौतम कुमार, 2. कुलशर कुमार, 3. श्रवण दास, 4. कन्हैया दास, 5. संजित दास, 6. सुजित दास ने हरवे हथियार से दरवाजा पर आकर गौतम कुमार, गुलशन कुमार दोनों अपने–अपने हाथ में लोहे का रॉड लिए नगीना दास को सर पर मारा तथा गौतम लोहे के रॉड से पैर, कमर पर मारा जिससे जख्मी हो गया। संजित पैना से सुदामिया देवी को मारा एवं सारा गहना छीन, सुजीत दास ने डण्डा से मार–पीट किया एवं सोना के कानवाली सोने के जितिया, सोना का मंगलसूत्र छीन लिया एवं कन्हैया ने जान मारने के नियत से पसुली से तेज धार से गर्दन पर बार किया जिससे गर्दन थोड़ा कटा जिरासे सुबोध कुमार सिर को झुका लिया जिससे बच गया एवं पच्चीस हजार रुपया नगद सुजित छीन लिया जो अजित महतो के यहाँ से पैसा लेकर आ रहे थे। सभी का इलाज हुआ अभी पावापुरी अस्पताल में हुआ।

अग्रिम जमानत आवेदन– 474/26
तेल्हाड़ा थाना काण्ड सं0– 57/26

उभय पक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदकगण पर अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका एवं उसके परिवारजन के साथ मिलकर मारपीट करने एवं सोने का गहना तथा नकद रुपया छीन लेने का आरोप लगाया गया है। काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। काण्ड दैनिकी के कंडिका– 30 में इस काण्ड के जखमी नगीना रविदास एवं सुदगिया देवी का जख्म पत्र अंकित है। जिसमें सदमिया देवी को घुटने एवं कोहनी पर सूजन का जख्म कथित है, जो साधारण प्रकृति का कठोर एवं भोथरे वस्तु से कारित बताया गया है तथा जखमी नगीना रविदास को बायें हाथ एवं सर पर Lacereted Wound कारित है तथा जखमी का बांया हाथ में अस्थिभंग भी प्रतिवेदित है जो कि सभी जख्म कड़े एवं भोथरे वस्तु से गंभीर प्रकृति के प्रतिवेदित किए गए है। यद्यपि कि जखमी नगीना रविदास को मारने का आरोप विशिष्टतया गौतम कुमार एवं गुलशन कुमार पर है जो कि इस जमानत आवेदन में आवेदक नहीं है। काण्ड दैनिकी के कंडिका– 22 के अवलोकन से विदित है कि आवेदकगण पर पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तथा सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस वाद के प्रतिलोम वाद का दस्तावेज भी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं मामले की परिस्थितियों को एक साथ दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण को निम्न न्यायालय में आदेश प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की दशा में मो0– 10,000/– रुपए के दो प्रतिभुओं द्वारा बंध पत्र दाखिल करने पर निम्न न्यायालय की संतुष्टि के आधार पर धारा– 482(2) द0प्र0स0 के शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि (1) एक जमानतदार नजदीकी परिवार का सदस्य होगा तथा दूसरा ग्राम समाज का सम्मानित सदस्य होगा (2) आवेदकगण काण्ड के साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे और न ही साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे। (3) इस प्रकार के आपराधिक कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर बंध पत्र खंडित करने हेतु न्यायालय स्वतंत्र होगा।

(लेखापित एवं संशोधित)

(दीपक कुमार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
हिलसा (नालन्दा)